

आदेश व इधलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 630/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

मेन्टोर होम लीम्स इण्डिया लि (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लिमिटेड), पता- प्रधान कार्यालय मेन्टोर हाऊस,  
भोविन्द मार्ग, सोनी बरोलीनी, जयपुर।

प्राथी वित्तीय संस्था

बगाम

1. श्री प्रमू नारायण बैरवा पुत्र श्री मूस राम बैरवा,
2. श्रीमती गीश देवी पत्नी श्री प्रमू नारायण बैरवा,
3. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रमू नारायण बैरवा,
4. श्री दुर्गा लाल पुत्र श्री प्रमू नारायण बैरवा

पता :- फ्लॉट नं. 52, हनुमान नगर, सिरसी रोड, भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

6. श्री दीपचंद बैरवा पुत्र श्री प्रमू बराल बैरवा,

पता :- फ्लॉट नं. 73 सी, हनुमान नगर, भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपरिष्ठत :-

1. श्री सुरज शर्मा, अधिवक्ता प्राथी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 27.09.2022


1. रक्षोप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्राथी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.11.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री प्रमू नारायण बैरवा के स्वामित्व की संपत्ति फ्लॉट नं. 79, आनन्द विहार विस्तार, मुहाना, सांगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज को बन्धक रख कर 04,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्राथी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असाफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 04.01.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि गय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राथी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राथी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्राथी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2016 का संश्लेखी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 04,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्गित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूरी के लिए बकाया ऋण राशि 09.02.2024/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 04.01.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूरी योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा हिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री प्रभु नारायण बैरवा के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 79, आनन्द विहार विस्तार, मुहाना, सांगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट निजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल



दिनांक 27.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर